14 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को तिहरा आजीवन कारावास

बैतूल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले के सारनी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका को दुष्कर्म का शिकार बनाने के बाद प्राणघातक चोट पहुंचाकर जिंदा पत्थरों के नीचे दबाने करने वाले आरोपित सुशील पिता गोविंद वर्मा को अनन्य विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने तिहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला अभियोजन अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा ने बताया कि 18 जनवरी की शाम को सारनी थाना क्षेत्र के गांव की 14 वर्षीय बालिका खेत में मोटर पंप बंद करने के लिए गई थी। इसी दौरान पड़ोस के खेत का मालिक सुशील वर्मा ने उसे जबरन रोका और मारपीट करते हुए दुष्कर्म का शिकार बनाया।

आरोपित ने बालिका के साथ बेरहमी से पत्थरों से मारपीट की और जान से मारने की नियत से नाले में ले जाकर पत्थरों के नीचे दबा दिया था। बालिका के घर न पहुंचने पर परिजन उसे तलाशते हुए खेत पहुंचे तो नाले

में किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। परिजनों ने जब उसे पत्थरों के नीचे देखा तो तत्काल बाहर निकाला और घोड़ाडोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने परीक्षण के बार पाया कि उसके शरीर पर 21 चोटें हैं।

हालत गंभीर होने पर पहले जिला अस्पताल और फिर नागपुर के शासकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। कई दिन तक वह जिंदगी और मौत की जंग लड़तीं रही। पीड़िता के कई आपरेशन किए जिससे उसकी जान बच पाई। परिजनों की रिपोर्ट पर सारनी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 (3) 323, 324, 3/4 पाक्सो एक्ट एवं 3(1)(डब्ल्यू) (1). 3 (2) (व्ही) (ए) एस.सी./ एस.टी. एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।

पुलिस ने आवश्यक अनुसंधान करने के बाद घटना के मात्र सात दिन के भीतर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने घटना के लगभग 13 माह के भीतर विचारण पूर्ण कर आरोपित को दंडित करने का फैसला सुनाया है। आरोपित को धारा 376 (3) में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का जुर्माना, धारा 5(आर) / 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के साथ विशेष लोक अभियोजक शशीकांत नागले एवं ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की।